पाठ्यक्रम

सामान्य हिन्दी

सामान्य हिन्दी – (1) इस पत्र का स्तर वही होगा, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा में चौथे वर्ग से लगातार हिन्दी का अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों के लिये अभिप्रेत हिन्दी

का है।

- (2) इस परीक्षा में (क) उम्मीदवारों को सरल हिन्दी में अपने भावों को स्पष्टतः और शुद्ध—शुद्ध व्यक्त करने की सामान्य क्षमता, और (ख) परिचित विषयों पर सीधी—सादी हिन्दी की सहज बोध शक्ति की जांच की जाएगी।
- (3) अंकों का वितरण निम्न प्रकार होगा:-

	विषय	अंक
(1)	निबंध	40
(2)	वाक्य विन्यास	30
(3)	व्याकरण	30

GENERAL ENGLISH

Question will be set to test the understanding of and the power to write English. A passage or passages will usually be set for summary or precis. Questions will include letter writing on given subject.

GENERAL KNOWLEDGE

General Knowledge:- (including knowledge of current events) – The paper will also include question of Indian History, Culture and Geography of a nature, which candidates should be able to answer without special study.

सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं की जानकारी सहित) – इस पत्र में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति तथा भूगोल के भी ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे, जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के ही दे सकते हैं।

ELEMENTARY GENERAL SCIENCE

Elementary General Science:- A paper of questions to test such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject.

प्रारंभिक सामान्य विज्ञान — इस पत्र में दैनिक संप्रेक्षण और अनुभव के ऐसे विषयों के वैज्ञानिक पहलुओं पर प्रश्न पूछे जायेंगे, जिनके संबंध में आशा की जा सकती है कि किसी वैज्ञानिक विषय पर विशेष अध्ययन किए बिना ही किसी भी शिक्षित व्यक्ति को उसकी जानकारी रह सकती है।

पाट्यक्रम (SYLLABUS)

साक्ष्य और प्रक्रिया विधि (Law of Evidence and Procedure)

साक्ष्य और प्रक्रिया विधि (Law of Evidence and Procedure) — भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act (1 of 1872)। सिविल प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code) (5 of 1908)। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act 1996)। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (संख्या—2, 1974) (Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)। प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम (Provincial Small Cause Courts Act), 1887 ।

भारत की सांविधानिक एवं प्रशासनिक विधि (Constitutional and Administrative Law of India)

- (a) भारत का सांविधान अनुच्छेद 1 से 395 एवं अनुसूचियाँ (Constitution of India Article 1 to 395 and Schedules)
- (b) भारत की प्रशासनिक विधि (Administrative Law of India)
 - (i) प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation);
 - (ii) प्रत्यायोजित विधान का नियंत्रण न्यायिक एवं विधायी (Control of Delegated Legislation Judicial & Legislative);
 - (iii) निष्पक्ष सुनवायी; नैसर्गिक न्याय का नियम; पक्षपात के विरूद्ध नियम; ऑडी आल्टेरम पारटेम (Fair Hearing; Rules of Natural Justice; Rules Against Bias; Audi Alteram Partem);
 - (iv) न्यायाधिकरण एवं अर्द्धन्यायिक प्राधिकरण; उन पर न्यायिक नियंत्रण (Tribunals and Quasi-Judicial Authorities; Judicial Control over them);
 - (v) विनियामक प्राधिकरण (Regulatory Authorities);
 - (vi) प्रशासनिक कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review of Administrative Action);
 - (vii) रिट क्षेत्राधिकार एवं सांविधिक न्यायिक उपचार; क्षेत्र, विस्तार एवं अंतर (Writ Jurisdiction and Statutory Judicial Remedies, Scope, Extent & Distinction);
 - (viii) पब्लिक इंटेरेस्ट लिटिगेशन (Public Interest Litigation);
 - (ix) राज्य का अपकृत्य दायित्व एवं प्रतिकर (Tortious Liability of State and Compensation);
 - (x) वचन विबंध, विधि सम्मत प्रत्याशा एवं समानुपातिका का सिद्धान्त (Promissory Estoppel, Legitimate Expectation & Doctrine of Proportionality);
 - (xi) सरकारी संविदा (Government Contracts);
 - (xii) ओम्बुड्समैन (Ombudsman)

हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि (Hindu Law and Muhammadan Law)

अ. हिन्दू विधि (Hindu Law)

स्रोतों का स्वरूप — विभिन्न शाखायें (Schools), विवाह पुत्रत्व, दत्तक ग्रहण (Adoption), संयुक्त परिवार और संयुक्त संपत्ति, अविभाज्य संपदा (Impartible Estate), ऋण, हस्तांतरण, विभाजन, उत्तराधिकार, स्त्री धन, विधवा की संपदा, वसीयत, दान, धार्मिक और खैराती विन्यास (Endowment)।

आ. मुस्लिम विधि (Muhammadan Law)

मुस्लिम विधि के स्रोत, विभिन्न शाखाओं का उद्गम और विकास, भारत में इसके लागू होने की हद, शरियत अधिनियम (शरियत ऐक्ट), 1937, इस्लाम धर्म ग्रहण करने का प्रभाव, उत्तराधिकार और प्रशासन, वसीयत (Wills), हेवा, हेबाबिल एबाज, वक्फ—अनुरंक्षण विन्दियत—धर्मजत्व (Legitimacy) और अभिस्वीकार (Acknowledgement), अभिभावकत्व (Guardianship)।

सम्पत्ति—अन्तरण विधि (Law of Transfer of Property) और साम्या के सिद्धांत (Principles of Equity)

संपत्ति—अन्तरण विधि (Law of Transfer of Property) और साम्या के सिद्धांत (Principles of Equity) जिसमें न्यास—विधि (Law of Trust) तथा विशिष्ट अनुतोष (Specific Relief) भी शामिल है।

अ. संपत्ति—अन्तरण विधि — अधिनियम सं. ४ ऑफ 1882 (संपत्ति अन्तरण अधिनियम)।

आ. साम्या (Equity) का सिद्धांत जिसमें न्यास—विधि (Law of Trust) तथा विशिष्ट अनुतोष (Specific Relief) भी शामिल है।

साम्या न्यायालय (Court of Equity) का इतिहास, maxims, origin of use । चलन से न्यास (Trust) का विकास।

न्यास की परिभाषा, न्यास गठन में औपचारिकतायें। न्यास का वर्गीकरण, अभिव्यक्त (Express), विक्षित (Employed), परिणामी (Resulting), constructive, प्राइवेट और पब्लिक, बेनामी transactions।

Advancement का सिद्धांत। खैराती ट्रस्ट। देवोतर से तुलना। न्यासियों (ट्रस्टियों) के अधिकार और कर्त्तव्य। Determination of Trust। Remedies for Breach of Trust।

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (संख्या – 47, 1963) (Specific Relief Act, 1963) (Act 47 of 1963) भारतीय न्यास अधिनियम (Indian Trust Act) (2 of 1882)।

संविदा एवं अपकृत्य विधि (Law of Contracts and Torts)

संविदा-विधि (Law of Contracts)

अ. अधिनियम सं。 9 ऑफ 1872 (Indian Contract Act) भारतीय संविदा अधिनियम।
आ. अपकृत्य—विधि (Law of Torts) — अपकृत्य का स्वरूप। दायित्व के सामान्य
सिद्धांत (General Principles of Liabilities)। पार्टी, प्रतिकार (Remedies, Nuisance), दैहिक
क्षति (Injuries to Persons)।

मृत्यु, हमला (Assault), मिथ्या कारावास (False Imprisonment), घरेलू और संविदात्मक संबंधों को क्षति पहुँचाना (Injuries to Domestic and Contractual Relations), सदोष बर्खास्तगी (Wrongful Dismissal), Defamation, उपेक्षा (Negligence)। खतरनाक संपत्तियों के लिए जिम्मेवारी, The Rule in Rylands Vrs. Fletcher Deceit। षडयंत्र (Conspiracy)। विद्वेषपूर्ण अभियोजन (Malicious Prosecution)।

वाणिज्य विधि (Commercial Law)

निम्न विषयों से संबद्ध मुख्य विधि सिद्धांत:-

- (क) माल की बिक्री,
- (ख) परक्राम्य लिखते (Negotiable Instruments),
- (ग) कंपनी विधि, तथा
- (घ) पार्टनरशीप।

COMMERCIAL LAW

<u>Commercial Law</u>:- The main principles of law relating to (a) Sale of Goods, (b) Negotiable Instruments, (c) Company Law and (d) Partnership.